-प्रेस नोट-

दिनांकः- 28.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी से रुपये हड़पने वाले 04 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 एक्टीवा, 01 मोटर साईकिल ,04 मोबाईल फोन ,2 लाख 25 हजार रूपये नगद एंव 04 फर्जी आधार कार्ड की रंगीन छायाप्रति बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.04.25 को वादी जहांगीर खान पुत्र खान मौहम्मद निवासी गणपत सराय थाना मंडी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण **1. अकरम पुत्र मुकर्रम निवासी ग्राम खिडका जुनारदार थाना बेहट जिला सहारनपुर 2. जहीर पुत्र जिंदा हसन निवासी मौहल्ला इन्द्रा चौक आली की चुंगी थाना मंडी, सहारनपुर 3. शावेज पुत्र मकसूद उर्फ मूदा निवासी ग्राम हीराहेडी थाना बेहट जिला सहारनपुर 4. शहजाद पुत्र मतलूब हसन निवासी अकलशिया थाना बेहट सहारनपुर 5. गुलशेर प्रधान पुत्र नाम पता अज्ञात निवासी ताजपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुर 6. मौ0 हुसैन जिलानी पुत्र हनीफ निवासी उपवन विहार नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर सहारनपुर व 06-07 अज्ञात व्यक्तियों** द्वारा अलग-अलग समय पर वादी व अन्य से धोखाधड़ी कर कुल 22 लाख रुपये की धनराशि हड़पने के सम्बन्ध मे थाना मण्डी पर मु0अ0सं0-172/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर उपरोक्त घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले 04 शातिर अभियुक्तगण **1. अकरम पुत्र मुकर्रम निवासी ग्राम खिडका जुनारदार थाना बेहट जिला सहारनपुर, 2. जहीर पुत्र जिंदा हसन निवासी मौहल्ला इन्द्रा चौक आली की चुंगी गली न-01 थाना मंडी सहारनपुर 3. सावेज पुत्र मकसूद उर्फ मूदा निवासी ग्राम हीराहेडी थाना बेहट जिला सहारनपुर 4.शहजाद पुत्र मतलूब हसन निवासी अकलशिया थाना बेहट सहारनपुर** को प्रवेज की आरा मशीन के पास आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के **कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 एक्टीवा ,01 मोटर साईकिल स्पलैंडर प्लस ,04 मोबाईल फोन व 2 लाख 25 हजार रूपये, 04 फर्जी आधार कार्ड की रंगीन छायाप्रति व 01 हस्त लिखित रशीद व 01 शपथ पत्र** बरामद हुए। बरामद एक्टीवा व मोटरसाइकिल को धारा 207 एम.वी. एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम चारो मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन खरीदने व बेचने का कार्य करते हैं व जो भी मुनाफा होता है उसे आपस में बाँट लेते हैं। जहाँगीर खान की मॉडर्न टैन्ट हाउस नाम से एक दुकान साबरी के बाग पर स्थित है। जहीर व जहाँगीर की आपस में

अच्छी जान पहचान है। एक दिन जहाँगीर ने जहीर से जमीन खरीदने की इच्छा जाहिर की तो जहीर ने जहाँगीर की मुलाकात अकरम से कराई। इसके बाद सावेज,शहजाद, ताजपुरा बेहट के प्रधान गुलशेर और हुसैन जिलानी हम सबने मिलकर योजना बनाई कि किसी तरह से जहाँगीर खान को अपने जाल में फँसाकर उससे जमीन खरीदवाने के नाम पर पैसे लिये जायें। जिसके चलते माह मार्च 2025 के पहले सप्ताह में हमने जहाँगीर को ग्राम बाबैल स्थित17 बीघे भूमिं की खतौनी की छाया प्रतियाँ तथा इरशाद के भाईयों दिलशाद व मौ0 निसार अहमद के आधार कार्ड की छायाप्रतियाँ देते हुए मालिक व काबिज होना बताया था तथा मौके पर जमीन भी दिखवाई थी। इसके बाद हम जहाँगीर व उसके भतीजे फैसल खान को लेकर हम गुलशेर प्रधान के यहाँ गए और गुलशेर प्रधान की मौजूदगी में जमीन का सौदा 4,80,000/- रुपये प्रति बीघा के हिसाब से तय किया था। क्योंकि इस योजना में गुलशेर प्रधान भी सम्मिलित था। दिनाँक 15.03.2025 को हमने अकरम व शहजाद के साथ एक शपथ पत्र बतौर बयाना तैयार कराकर और भूमि मालिक दिलशाद व निसार की फोटो की जगह अकरम, व शहजाद की फोटो चस्पा कर 05 लाख रुपये बतौर बयाना ले लिये। इसके बाद दिनाँक 22.03.2025 को पुनः इसी तरह का स्टाम्प तैयार कराकर 06 लाख रुपये ले लिये थे। इस प्रकार हमने जहाँगीर से कुल 11 लाख रुपये ले लिये थे। इसके बाद हमने जहाँगीर को बताया कि एक व्यक्ति हुसैन जिलानी निवासी उपवन विहार नूरबस्ती कोतवाली नगर, सहारनपुर भी अपनी जमीन सस्ते दामों पर बेच रहा है तो हमने जहाँगीर खान व उसके भतीजे फैसल खान की मुलाकात हुसैन जिलानी से करवा दी। इसमें 40 बीघा भूमि स्थित ग्राम घाना खण्डी सहारनपुर का सौदा 4,30,000/- रुपये प्रति बीघा के हिसाब से तय किया गया। इस सौदे में दिनांक 27.03.2025 को 06 लाख रुपये नकद तथा दिनाँक 04.04.2025 को स्टाम्प तैयार कराकर 05 लाख रुपये कुल 11 लाख रुपये हुसैन जिलानी को दिलवा दिये थे। इस पूरे मामले में मेरे साथ भूरा फकीर ,राशिद गाढा ,गफ्फार ,हसीन ,हुसैन जिलानी ,जहीर पुत्र जिन्दा हसन,सावेज ,गुलशेर प्रधान,शहजाद सम्मिलित रहे हैं। हसीन हमें आधार कार्ड एडिट करके देता था। हम सभी मिलकर आर्थिक लाभ के लिये इसी प्रकार फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए लोगों से धन ऐंठते रहते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अकरम पुत्र मुकर्रम निवासी ग्राम खिडका जुनारदार थाना बेहट जिला सहारनपुर
2. जहीर पुत्र जिंदा हसन निवासी मौहल्ला इन्द्रा चौक आली की चुंगी गली न0 01 थाना मंडी सहारनपुर
3. सावेज पुत्र मकसूद उर्फ मूदा निवासी ग्राम हीराहेडी थाना बेहट जिला सहारनपुर
4. शहजाद पुत्र मतलूब हसन निवासी अकलशिया थाना बेहट सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 एक्टीवा स्कूटी
- 01 मोटर साईकिल स्पलैंडर प्लस
- 04 मोबाईल फोन
- 2 लाख 25 हजार रूपये नगद
- 04 फर्जी आधार कार्ड की रंगीन छायाप्रति
- 01 हस्त लिखित रशीद
- 01 शपथ पत्र

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सावेज का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0042/23 धारा 313,323, 498a, 504, और 506 आईपीसी तथा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

अभियुक्त जहीर का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 123/2016 धारा 406,420.467,468,471,506 आईपीसी थाना सदर बाजार सहारनपुर

अभियुक्त शहजाद का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0- 0164/2013 धारा 307, 323, 324, 504 आईपीसी थाना बेहट सहारनपुर

2. मु0अ0सं0 398/2024 धारा 406, 420, 504, 506 आईपीसीथाना बेहट सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ललित तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 2223 रंगेश थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1460 अंकित पंवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः **28.04.2025**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठपुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 6.99 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेत चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान अभियुक्त **आफताब उर्फ मोनू पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम नोजली थाना नागल जिला सहारनपुर हाल पता देहरादून रोड स्पाईसी चिकन सेन्टर के सामने एवन कालोनी थाना गागलहेडी सहारनपुर** को ग्राम हरियाबांस के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 6.99 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुध्द थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0-71/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ। मैं नशा करने का आदि भी हूँ एंव अक्सर मुझे पैसो की कमी रहती है। मैं स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आसपास के क्षेत्रो मे अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।आज जब मैं स्मैक बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आफताब उर्फ मोनू पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम नोजली थाना नागल जिला सहारनपुर हाल पता देहरादून रोड स्पाईसी चिकन सेन्टर के सामने एवन कालोनी थाना गागलहेडी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 6.99 ग्राम स्मैक नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

(1) थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमारथाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
(2) उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
(3) है0का0 716 राकेश राणा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
(4) का0 1035 हरेन्द्र कुमार गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 28.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा आनलाइन साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी कुल 8747 /- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 05.04.2025 को पीडित अमजद अली पुत्र आजाद निवासी ग्राम मुसैल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा आनलाईन साईबर पोर्टल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा आनलाइन साइबर फ्राड करके पीडित के खाते से कुल 8747/- रूपये की धनराशि का फ्राड करने के सम्बन्ध में शिकायत सं0 **33103250036529** दर्ज करायी गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी साइबर अपराध एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा दिनांक 05.04.2025 को दर्ज साइबर शिकायत संख्या 33103250036529 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर पीडित अमजद अली उपरोक्त से साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी कुल शत प्रतिशत धरनराशि **8747/- रूपये** की धनराशि बैंक के माध्यम से होल्ड करायी गयी थी । **आज दिनांक 28.04.2025 को पीडित अमजद अली उपरोक्त की साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गयी कुल 8747 /- रूपये की शत-प्रतिशत धनराशि खाते में वापस** करायी गयी ।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर गौरव कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. का0 2214 कुमर पाल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. का0 2207 धीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर

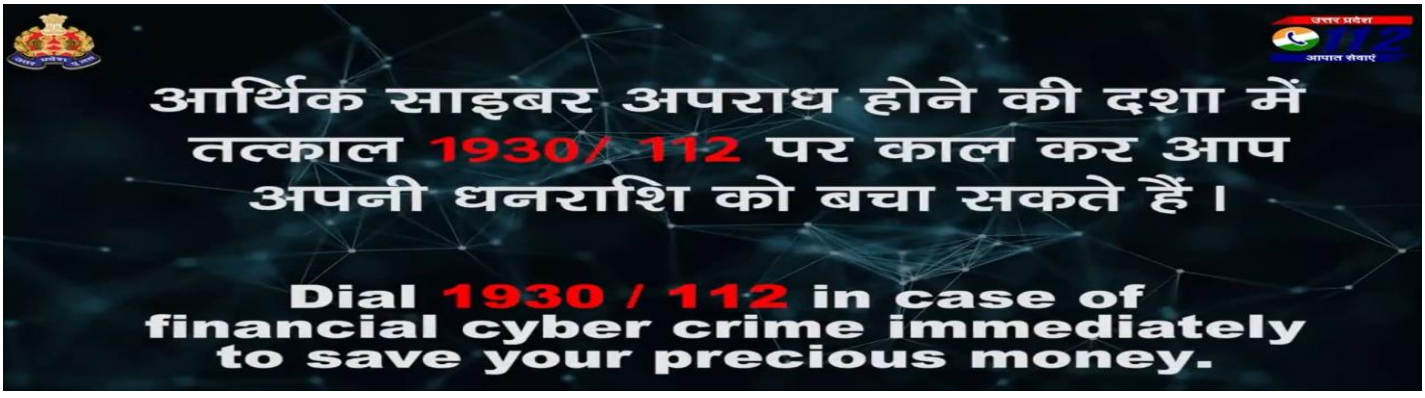

-प्रेस नोट-

दिनांकः 28.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 7.00 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.04.2025 को थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त **रिहान पुत्र सुलेमान नि0 मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को ग्राम बेलका के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 7.00 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद हुई।बरामदगी व गिरफ्ताही के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 171/25 धारा- 8/21 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। मैं अपने नशे की लत को पूरा करने के लिये व अधिक पैसे कमाने के लिये स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर आसपास के क्षेत्रो में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।आज जब मैं स्मैके बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

रिहान पुत्र सुलेमान निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त रिहान का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 171/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 09/18 धारा- 380/411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 406/22 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 413/24 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री मौ0 कामिल थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2 का0 1835 सन्दीप चिकारा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 05 उमंग राठी थाना बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः-27.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा पीजीआई मेडिकल क़ॉलेज में डॉक्टरो व अन्य स्टाफ कर्मियों के साथ मारपीट करने के मुकदमें में 03 वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.04.2025 को वादी कुश चौहान पुत्र यशपाल सिंह निवासी हाल पता मेडिकल कालेज कैम्पस पिलखनी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर कि लिखित तहरी बाबत अभियुक्तगण 1.बाकत अली पुत्र शौकत 2.शोयब पुत्र मेहरबान 3.अर्शी पुत्र बाकत अली निवासीगण ग्राम भटपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा डॉक्टरो के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट करना व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 144/2025 धारा 115(2)/132/121(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 27.04.2025 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 03 अभियुक्तगण 1.बाकत अली पुत्र शौकत 2.शोयब पुत्र मेहरबान 3.अर्शी पुत्र बाकत अली निवासीगण ग्राम भटपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को पिलखनी मेडिकल कालेज के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवशयक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.बाकत अली पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम भटपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2.शोयब पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम भटपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3.अर्शी पुत्र बाकत अली निवासी ग्राम भटपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2.है0का0 845 तेजिन्दर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3.है0का0 25 जयप्रकाश थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 28.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के तहत वर्ष 2018 वर्ष से 2023 तक थाना परिसर में खडे कुल 67 वाहनो की नियमानुसार नीलामी करायी गयी, जिसमें कुल 3,65,800/- रूपये की धनराशि (18% जीएसटी सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन क्लीन"** के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नोडल अधिकारी सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा श्री मुनीषचन्द्र क्षेत्राधिकारी बेहट के कुशल नेतृत्व में एवं श्री मानवेन्द्र सिंह (उपजिलाधिकारी बेहट, सहारनपुर), श्री भूपेन्द्र सिंह नायब तहसीलदार बेहट सहारनपुर, व श्री सुबे सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट सहारनपुर की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना बेहट परिसर में खडे कुल 67 वाहनो की नीलामी आरम्भ की गयी जिसमे कुल 74 व्यक्तियो द्वारा भाग लिया गया। आरटीओ कार्यालय (टैक्निकल) द्वारा नीलामी की न्यूनतम सरकारी बोली 2,10,000/- रूपये तय की गयी थी। कुल 67 दो पहिया वाहनो की नीलामी मे बोली दाता नौशाद कुरैशी पुत्र कालू निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना ननौता जिला सहारनपुर द्वारा उच्चतम बोली 3,10,000/- रूपये की लगायी गयी, उच्चतम बोली दाता के हक में नीलामी छोड़ी गयी। नीलामी की कुल धनराशि का 70,000/- रुपये जमा किया गया। कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के साथ कुल 3,65,800/- रूपये की धनराशि राजकोष मे जमा की जायेगी।

नीलामी के समय उपस्थित-

1. श्री मानवेन्द्र सिंह उपजिलाधिकारी बेहट सहारनपुर
2. श्री मुनीषचन्द्र क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर
3. श्री भूपेन्द्र सिंह नायाब तहसीलदार बेहट सहारनपुर
4. श्री सुबे सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट सहारनपुर
5. श्री संजीव कुमार अतिरिक्त निरीक्षक थाना बेहट सहारनपुर
6. श्री प्रेम सिंह वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना बेहट सहारनपुर
7. हैड मोहर्रिर 595 जौनी कुमार थाना बेहट सहारनपुर